राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(8)पोषा/सबला/ICDS/2010/ 37224-256 जयपुर, दिनांकः– 23/4/14

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किये जा रहे आर.टी.ई. पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में आंगनबाडी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को आर.टी.ई पूरक पोषाहार (बेबीमिक्स) का वितरण कराया जा रहा है।

लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे आर.टी.ई पूरक पोषाहार (बेबीमिक्स) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा बेबीमिक्स पोषाहार बनाते समय प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक एक–एक स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल पर अपनी उपस्थिति में बेबीमिक्स रेसीपी के लिए निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए पोषाहार का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करावें। बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक अपनी उपस्थिति में बेबीमिक्स बनाये जाने का कार्य प्रत्येक सप्ताह एक स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल आवश्यक रूप से करायेंगे।

प्रत्येक बाल विकास परियोजना कार्यालय से इस पोषाहार का एक नमूना प्रयोगशाला जांच हेतु संबंधित उप निदेशक को प्रेषित किया जायेगा एवं उप निदेशक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त बाल विकास परियोजनाओं से प्राप्त नमूनों को जांच हेतु स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री राजस्थान, मनो चिकित्सालय के पीछे, सेठी कॉलोनी, जयपुर को प्रेषित किये जायेंगे। यदि नमूनों की जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता में कमी आती है तो उसके कारणों का पता लगाया जाकर सुधारात्मक कार्यवाही की जावें। प्राप्त जांच रिपोर्ट के साथ संबंधित उप निदेशक अपनी टिप्पणी निदेशालय को प्रेषित करेंगे। प्रथम बार यह कार्यवाही आगामी 15 दिवस में सुनिश्चित की जाकर रिपोर्ट आवश्यक रूप से निदेशालय को प्रेषित की जावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 37257 - 606 जयपुर, दिनांकः 23/4/14
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीणा)
अति.निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in